



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या :- 229/73/गोपन/पी0सी0एस0(जे0)-16/2017-18,

दिनांक: 25 अगस्त, 2017

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 मई, 2017 को आयोजित उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) प्रा0 परीक्षा-2016 के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है-

400283	400398	400583	400828	401169	401317	401411	401452
401505	401533	401543	401687	401739	402005	402273	402494
402495	402775	402776	402878	402939	402971	403015	403402
403483	403624	403745	403760	403847	403856	403859	403869
403892	404178	404182	404303	404486	404507	404621	404661
404699	404722	405353	405389	405516	405768	406030	406337
406770	407064	407213	407331	407551	407593	408014	408272
408460	408583	408972	409120	409187	409234	409254	409439
409587	409633	409712	409733	409814	409827	410014	410248
410361	410656	410688	410753	410792	410891	410896	411056
411094	411131	411201					

नोट-

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके आन लाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे एवं अभिलेख असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा

में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेख, ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट तथा मुख्य परीक्षा का शुल्क इत्यादि का विवरण मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त किये जाने के लिए पृथक से विज्ञप्ति समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।
3. मुख्य (लिखित) परीक्षा माह 7^{से}9/10/2017 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।
4. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स के सम्बन्ध में सूचना आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(आनन्द स्वरूप)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव/अपर निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण को मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक/अपर सचिव विधि/वित्त नियंत्रक/उप सचिव।
3. अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा अनुभाग-2
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई0टी0 अनुभाग को उक्त परीक्षाफल एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट आफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


सचिव